GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD)/रेलवे बोर्ड

S.No. PC-VII/26
No. PC-V/2016/A/Med/1 (FMA)

RBE No. 75/2017
New Delhi, dated 28-7-2017

The General Manager,
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub: Grant of Fixed Medical Allowance (FMA) to the Railway pensioners/family pensioners on recommendations of the 7th Central Pay Commission.

At present Fixed Medical Allowance is granted to the Railway pensioners/family pensioners residing in areas beyond 2.5 Kms of Railway Hospital/Health Unit for meeting expenditure on their day-to-day medical expenses that do not require hospitalization. Orders were issued vide Board's letter dated 19-12-2014 (RBE No.146/2014) for enhancement of the amount of FMA from Rs.300/- to Rs. 500/- per month w.e.f. 19-11-2014.

2. Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission on allowance (with modifications), sanction of the President is hereby conveyed for enhancement of the amount of Fixed Medical Allowance from Rs.500/- to Rs. 1000/- per month. The other terms and conditions for grant of Fixed Medical Allowance as contained in Railway Board's letter No. PC-V/98/I/7/1/1 dated 21-4-1999 and subsequent amendments/clarifications issued from time to time, the last being letter No. PC-V/2010/A/Med/1 dated 19-12-2014, shall continue to be in force.

3. These orders will take effect from 01-7-2017.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Hindi version is enclosed.

(N. P. Singh)
Dy. Director/ Pay Commission-V
Railway Board

E:\PC-V\Fixed Medical Allowance\7th CPC Implementation.doc

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

क्र.सं. पीसी-VII/26
सं. पीसी-V/2016/ए/मेड/1 (एफएमए)

आरबीई सं.75/2017
नई दिल्ली, दिनांक28-7-2017

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर रेलवे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान करना।

इस समय रेलवे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के दिन-प्रतिदिन के चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र से 2.5 किमी. से अधिक की दूरी पर रह रहे उन रेलवे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाता है जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। बोर्ड के दिनांक 19.12.2014 के पत्र (आरबीई सं.146/2014) के तहत 19.11.2014 से नियत चिकित्सा भत्ते की राशि को 300/- रुपए से बढ़ाकर 500/- रुपए प्रति माह करने के आदेश जारी किए गए थे।

2. भत्ते के संबंध में (संशोधन सहित) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, नियत चिकित्सा भत्ते को 500/- रुपए से बढ़ाकर 1000/- रुपए प्रति माह करने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति एतद्द्वारा सूचित की जाती है। रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.4.1999 के पत्र सं. पीसी-V/98/I/7/1/1 और बाद में समय-समय पर जारी किए गए संशोधन/स्पष्टीकरण, जो आखिरी बार दिनांक 19-12-2014 के पत्र सं. पीसी-V/2010/ए/मेड/1 के माध्यम से जारी किए गए थे, में नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान करने की अन्य निबंधन और शर्तें जारी रहेगी।

3. ये आदेश 01-7-2017 से लागू होंगे।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एन. पी. सिंह)
उपनिदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड